

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(खेल एवं युवा कल्याण)

क्रमांक / 188 / खेल युवा / स्थापना / 2026-27


दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 / 05 / 2026

वॉक-इन-इन्टरव्यू की सूचना

खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति अर्हताधारी उम्मीदवारों से वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु दिनांक- 18 / 06 / 2026 को समय 11.00 बजे से कार्यालय कलेक्टर (शंकनी सभाकक्ष) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया गया है। रिक्त पद का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

स. क्र.	पद का नाम	कुल भर्ती हेतु रिक्त पद	वेतनमान	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या												
				अनारक्षित			अ.पि.व.			अ.ज.जा.			अ.जा.			
				मुक्त	पुरुष	महिला	मुक्त	पुरुष	महिला	मुक्त	पुरुष	महिला	मुक्त	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर	01	39875 / -	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कबड्डी (प्रशिक्षक)	01	35165 / -	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	क्रिकेट (प्रशिक्षक)	01		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	कियाकिंग (प्रशिक्षक)	01		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	फिजियो थैरिपिस्ट	01		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	अधीक्षिका (बालिका)	01	20675 / -	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	भृत्य (कलेक्टर दर)	01	कलेक्टर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	रसोईया (कलेक्टर दर)	04	दर	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	
योग:-		11	-	04	01	02	0	01	00	0	01	02	0	0	0	

टीप :- उपरोक्त भर्ती के संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेब साईट www.dantewada.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं.
 एवं जिला खेल अधिकारी
 खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा

(1) संविदा भर्ती के लिए नियम शर्तें एवं चयन प्रक्रिया :-

1. परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आगामी मई प्रथम दिन को 21 वर्ष पुरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.04.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में समय-समय पर जारी छूट अनुसार छूट दिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एवं स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. **पद क्रमांक-1 स्पोटर्स कोऑर्डिनेटर विशिष्ट पद होने के कारण आवेदक की आयु 35 वर्ष से 50 के मध्य निर्धारित है। तथा शेष पदों की आयु सीमा सरल क्रमांक 1 एवं 2 अनुसार होगी।**
4. संबंधित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
6. रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
8. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. संविदा नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.एफ.9-1/2012/1-3/दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
11. संविदा नियुक्त अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
13. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान, या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. संबंधित पदों पर अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/ गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का कार्यानुभव ही मान्य होंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु कार्यालय आवेदक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ई-मेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक निरंतर 03 माह का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पद हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय समिति के पास होगा।
17. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। अन्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैध होगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।
19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
20. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
21. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

सहायक खेल अधिकारी

जिला खेल एवं युवा कल्याण

जिला दक्षिण दस्तर दत्तेवाड़ा (छ.रा.)

निरंतर.....


22. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण की (अंकसूची की सवप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
23. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता जिला कलेक्टर दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।
25. आवेदन का विस्तृत प्रारूप कार्यालयीन सूचना पटल के अतिरिक्त जिले के वेबसाईट dantewada.nic.in पर देखा जा सकता है।
26. उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती में भी लागू होगा।
27. उपरोक्त दर्शित शैक्षणिक अर्हता पाये जाने पर प्रथम प्राथमिकता जिले के स्थानीय निवासी को दिया जावेगा, द्वितीय प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी को दिया जावेगा एवं तृतीय प्राथमिकता में अन्य राज्य के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जावेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पर संलग्न करें।
28. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार (पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न एवं राज्य सरकार द्वारा वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (प्रशिक्षक), शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र बंजदेव सम्मान। एक या एक से अधिक पुरस्कार/सम्मान प्राप्त उम्मीदवारों को एक की गणना की जावेगी) के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए चयन किया जावेगा।
29. प्राविण्यता क्रम अनुसार उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए अधिकतम 1.5 अनुसार किया जावेगा।
30. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जावेगा एवं कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
31. भृत्य एवं रसोईया पद हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू नहीं किया जावेगा। उक्त पदों के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं चयन समिति के समक्ष दक्षता परीक्षण किया जावेगा।

(2) शैक्षणिक आर्हताएं :-

- I. स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर पद हेतु :-
 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता (खेल के क्षेत्र में) या जनसंचार में स्नातक।
 2. मीडिया संस्थान में विभिन्न खेल संघ, अकादमी व खेल विभाग में खेल पत्रकारिता के कार्य अनुभव को वरीयता दी जावेगी।
- II. फिजियो थैरिपिस्ट पद हेतु :-
 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजियोथैरिपी, यू.जी.सी.से मान्यता प्राप्त फिजियोथैरिपी डिग्री, राज्य से संबंधित लाइसेंस, शारीरिक दक्षता में निपुण होना चाहिए।
- III. डाइटेशियन कम न्यूट्रिशियन पद हेतु :-
 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डाइटेशियन एवं न्यूट्रिशियन डिप्लोमा/डिग्री, राज्य से संबंधित लाइसेंस, शारीरिक दक्षता में निपुण होना चाहिए।
- IV. प्रशिक्षक (कबड्डी, बेसबाल, क्रिकेट, कियार्किंग) पद हेतु :-
 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सार्ट NIS अथवा एक वर्ष NIS (पूर्ण कालिक) का समकक्ष डिप्लोमा एवं MPED अनिवार्य अर्हता होगी।
 2. अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्राथमिकता प्रदाय किया जावेगा।
- V. अधीक्षिका बालिका पद हेतु :-
 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। एवं कम्प्यूटर परीक्षा लिया जावेगा।
- VI. भृत्य एवं रसोईया पद हेतु :-
 1. 12 बी कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
 2. कार्यालयीन कार्य में दक्ष होना चाहिए।
 3. पाककला (भोजन पकाने) में निपुण होना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में भौतिक परीक्षा लिया जावेगा।
 4. अनुभवी को प्राथमिकता दिया जावेगा।

(3) अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का निर्णय संबंधी-

1. सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जावेगा।



 सहायक खेल अधिकारी
 जिला खेल एवं युवा कल्याण
 जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (उ.ग.)


निरंतर.....

2. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता क विनिश्चय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

(4) अन्य निर्देश:-

1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन देय होगा।
2. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ती भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 07 दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. विज्ञापन एवं अद्यतन जानकारी दन्तेवाड़ा जिले के वेबसाइट <http://dantewada.nic.in> पर अवलोकन करते रहें।


सहायक खेल अधिकारी
जिला खेल एवं युवा कल्याण
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं.
एवं जिला खेल अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा

आवेदन पत्र

पंजीयन क्रमांक -

फोटो चस्पा करें

आवेदित पद का नाम :-

आवेदक का नाम :-

पिता का नाम :-

जाति :-

जन्मतिथि :-

रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन नम्बर :-

स्थायी पता :-

वर्तमान पता :-

मोबाईल नम्बर :-

शैक्षणिक योग्यता :-

क्रं.	परीक्षा का नाम	वि.वि./संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्ताक/पूर्णांक	प्रतिशत

विशेष योग्यता :-

क्रं.	परीक्षा का नाम	वि.वि./संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्ताक/पूर्णांक	प्रतिशत

अनुभव का विवरण :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम	कब से कब तक	कुल वर्ष

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है । जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर